न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 143/2014

1. हनीश अली पुत्र बाबू खॉ जाति मुसलमान निवासी दौसा जिला दौसा।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ,तहसील दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 26.11.2014 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हनीफ अली मु0नं0 45/2014 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 03.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने दिनांक 26.11.2014 को ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के खसरा नं0 1254,1255 के रकबा 7692 वर्गफीट किस्म गै0मु0 चोकडी भूमि पर संवत 2071 में पुख्ता बाउण्ड्री निर्माण कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित कर दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाव को देखे बिना एवं बिना पटवारी हल्का के बयान लिए पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना अपीलांट की उपस्थिति मे नाप करवाये बिना विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। कथित निर्माण साबिका खसर नं0 510 मे हो रहा है। सेटलमेन्ट ने रिकार्ड में हेराफेरी कर दी जिसका सेटलमेन्ट का कोई अधिकार नही था उक्त भूमि के संबंध मे सिविल न्यायालय मे भी वाद चल रहा है। उक्त वादग्रस्त स्थल बाबत अपीलांट के खिलाफ जल संसाधन विभाग, सहायक अभियंता दौसा के यहा प्रकरण विचाराधीन है। कानूनन एक ही विषयवस्तु बाबत दो जगह मुकदमे नहीं चल सकते है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि वादग्रस्त भूमि की नाप करवाया जाना जरूरी है। जिस नाप के आधार पर अपीलांट को नोटिस दिया गया है। वह नाप गलत की गई है। अपीलांट उक्त भूमि मे हो रहे निर्माण के एक छोटे से भाग का

किरायेदार है किन्तु जिनका निर्माण था उन्हें नोटिस दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि नगर परिषद दौसा की सीमा मे आ चुकी है। तहसीलदार दौसा को उक्त भूमि के संबंध मे कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2014 को निरस्त फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2014 में अंकित किया है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट की रिकार्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन करवाया। पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 1254,1255 के रकबा 7692 वर्गफीट किस्म गै0मु0 चोकडी भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 चोकडी भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्री कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण सिविल न्यायालय मे विचाराधीन होने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2014 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये जाते है कि सिविल न्यायालय में प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी कर प्रदत्त निर्देशानुसार अग्रिम नियमाचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 दिसम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा